राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
ई–मेल : seiaacg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 20/08/2019 को संपन्न 289वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

---000---

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 289वीं बैठक श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 20/08/2019 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: दिनांक 19/08/2019 को संपन्न 288वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण खनिजों एवं कंस्ट्रक्शन परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. सचिव, ग्राम पंचायत दुलदुला, ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 891)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37017/ 2019, दिनांक 01/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–दुलदुला, ग्राम पंचायत दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 908, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन सिरी नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–70,136 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दुलदुला का दिनांक 08/02/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख. प्र.), जिला–रायगढ़ द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 445/ख.शा. /2015/ जशपुर, दिनांक 16/07/2015 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थीः–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः– पूर्व में रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 908, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4559 दिनांक 14/01/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु दी गई थी।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 1 वर्ष 5 माह उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1.5 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

4. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी वर्ष 2015 की प्रस्तुत की गई है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा 500 मीटर की अद्यतन प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 289वीं बैठक दिनांक 20/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामदेव नायक, सचिव, ग्राम पंचायत दुलदुला एवं श्री हेलेन्द्र कुमार, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 6 एवं 7 की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान सचिव द्वारा बताया गया कि 500 नग पौधे लगाए गए थे, जिसमें से 400 नग पौधे जीवित है।
3. खनि निरीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि वर्ष 2016–17 में 13,200 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं वर्ष 2017–18 में 2,200 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत का उत्खनन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के

शासकीय स्कूल में वृक्षारोपण, पीने योग्य पानी एवं रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था आदि में किया जाए। सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

2. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्तानुसार वांछित समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ नवम्बर माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. सचिव, ग्राम पंचायत अमडीहा, ग्राम–बलुआबहार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 882)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36740/ 2019, दिनांक 27/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बलुआबहार, ग्राम पंचायत अमडीहा, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन ईब नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–49,380 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ द्वारा अनुमोदित है।
2. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 1483/ख.लि. / 2018/जशपुर, दिनांक 01/10/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनिकेट, जल आपूर्ति स्त्रोत आदि कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 289वीं बैठक दिनांक 20/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती अमृता बड़ा, सचिव, ग्राम पंचायत अमडीहा एवं श्री हेलेन्द्र कुमार, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान सचिव द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान, नवीन खदान होने के कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकती।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की चौड़ाई 135 मीटर तथा नदी के पाट की चौड़ाई 380 मीटर की जानकारी दी गई है।
4. ग्राम पंचायत अमडीहा द्वारा दिनांक 08/12/2017 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में वृक्षारोपण, पीने योग्य पानी एवं रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था आदि में किया जाए। सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
2. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्तानुसार वांछित समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ नवम्बर माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. सचिव, ग्राम पंचायत बुमतेल, ग्राम–कुजरी, तहसील–मनोरा, जिला–जशपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 892)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37179/ 2019, दिनांक 02/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कुजरी, ग्राम पंचायत बुमतेल, तहसील–मनोरा, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 26/1क एवं 26/2क, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन लावा नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–61,568 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बुमतेल का दिनांक 03/01/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख. प्र.), जिला–रायगढ़ द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 444/ख.शा./2015/जशपुर, दिनांक 16/07/2015 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:– पूर्व में रेत खदान खसरा क्रमांक 26/1क एवं 26/2क, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4754 दिनांक 10/02/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु दी गई थी।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 15 माह उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1.5 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट की वास्तविक खुदाई एवं मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी वर्ष 2015 की प्रस्तुत की गई है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा 500 मीटर की अद्यतन प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 289वीं बैठक दिनांक 20/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोहर एक्का, सरपंच, श्री गुलेश्वर यादव, सचिव, ग्राम पंचायत बुमतेल एवं श्री हेलेन्द्र कुमार, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान सचिव द्वारा बताया गया कि 350 नग पौधे लगाए गए थे।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की चौड़ाई 90 मीटर तथा नदी के पाट की चौड़ाई 100 मीटर की जानकारी दी गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में वृक्षारोपण, पीने योग्य पानी एवं रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था आदि में किया जाए। सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
2. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्तानुसार वांछित समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ नवम्बर माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड, केपिटल प्रोजेक्ट डिविजन–02, सेक्टर–12 टाउनशिप, अटल नगर, ग्राम–कोटराभाठा एवं पलौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 906)

ऑनलाईन आवेदन– प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 106958/ 2019, दिनांक 18/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–कोटराभाठा एवं पलौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित ग्राम–कोटराभाठा का खसरा क्रमांक 16(पार्ट), 76(पार्ट), 81, 82(पार्ट), 83, 84, 85, 86, 87, 88/1–2, 89(पार्ट), 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1–2, 102, 103(पार्ट), 104, 106(पार्ट), 107, 108(पार्ट), 109(पार्ट), 110(पार्ट), 115(पार्ट), 116/1–2–3, 117, 118, 119, 120, 121, 122(पार्ट), 128(पार्ट), 131/1–2–3(पार्ट), 132(पार्ट), 133, 134, 135(पार्ट), 136(पार्ट), 137(पार्ट), 138(पार्ट) एवं ग्राम–पलौद का खसरा क्रमांक 18(पार्ट), 19(पार्ट), 20(पार्ट), 25(पार्ट), 28(पार्ट), 80, 86(पार्ट), 87(पार्ट), 88, 90(पार्ट), 91(पार्ट), 92(पार्ट), 93, 93/2449, 94, 95, 96, 97, 98, 99(पार्ट), 102(पार्ट), 103, 104, 105, 106,

107(पार्ट), 108(पार्ट) एवं 109(पार्ट) में प्रस्तावित टाउनशिप प्रोजेक्ट का भूमि क्षेत्रफल – 3,03,507.4 वर्गमीटर (30.35 हेक्टेयर) तथा बिल्टअप क्षेत्रफल – 2,03,412.61 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 289वीं बैठक दिनांक 20/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिलीप राठी, कार्यपालन अभियंता एवं श्री महेन्द्र कुमार चंद्रा, सहायक अभियंता उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान कार्यपालन अभियंता द्वारा बताया गया कि टाउनशिप प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।
2. प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना टाउनशिप प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ करने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। उल्लंघन की श्रेणी में आने वाले प्रकरणों को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा जारी ओ.एम. क्रमांक Z-11013/22/2017-IA.II(M) दिनांक 16/03/2018 द्वारा उल्लंघन (Violation) प्रकरणों में आवेदन देने की समय सीमा दिनांक 15/04/2018 तक निर्धारित की गई थी। उक्त अवधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना टाउनशिप प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ करने के कारण परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित किया जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना टाउनशिप प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ करने के कारण प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। उल्लंघन के प्रकरणों को प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा जारी ओ.एम. क्रमांक Z-11013/22/2017-IA.II(M) दिनांक 16/03/2018 द्वारा उल्लंघन (Violation) प्रकरणों में आवेदन देने की समय सीमा दिनांक 15/04/2018 तक निर्धारित की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त अवधि में ऑनलाईन आवेदन नहीं किए जाने के कारण प्रकरण पर विचार किया जाना संभव नहीं है। अतः आवेदन अमान्य करते हुये निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स श्रीमति गीता देवी देशमुख ब्रिक्स अर्थ माईन, ग्राम–आलबरस, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 906ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 37910 / 2019, दिनांक 19 / 06 / 2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–आलबरस, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1650, कुल क्षेत्रफल – 1.35 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22 / 07 / 2019:

समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13 / 08 / 2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 289वीं बैठक दिनांक 20 / 08 / 2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री खिलेन्द्र कुमार देशमुख, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत आलबरस का दिनांक 22 / 01 / 2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 1276 / खनि.लि. / खनिज / 2019 बालोद, दिनांक 22 / 03 / 2019 द्वारा अनुमोदित की गई है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 490 / खनि.लि.02 / खनिज / 2019 दुर्ग, दिनांक 09 / 07 / 2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान क्षेत्रफल 1.38 हेक्टेयर है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 07 / 2016 के अनुसार उक्त स्वीकृत उत्खनिपट्टा दिनांक 09 / 09 / 2013 के पूर्व से स्वीकृत है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में उत्तर दिशा में 10 मीटर पर कच्चा सड़क, पूर्व दिशा में 200 मीटर पर तांदुला नदी स्थित है। इसके अतिरिक्त कोई भी

सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 23/02/2019 द्वारा जारी किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।

6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 19/05/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आई.आई.टी.) भिलाई, ग्राम–कुटेलाभाठा एवं खपरी, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 909)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एनसीपी/38153/ 2019, दिनांक 24/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–कुटेलाभाठा एवं खपरी, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित ग्राम–कुटेलाभाठा का खसरा क्रमांक 1, 2, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 30, 91/2, 97, 98, 99, 100, 101, 105/2, 106/2, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 150 एवं ग्राम–खपरी का खसरा क्रमांक 176, 177, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 एवं 213 में प्रस्तावित कन्सट्रक्शन बिल्डिंग प्रोजेक्ट का प्लॉट क्षेत्रफल – 13,99,300 वर्गमीटर तथा बिल्टअप क्षेत्रफल – 3,38,960 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 1,400 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019 – समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया थाः–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 289वीं बैठक दिनांक 20/08/2019 – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजू परिहार, कार्यपालन अभियंता एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स ई.क्यु.एम. एस. इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड की ओर से सुश्री निशा रानी उपस्थित हुए। समिति

द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:—

1. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** —

- समीपस्थ आबादी ग्राम—जेवरा सिरसा 0.5 किलोमीटर एवं ग्राम—खमरिया 0.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समीपस्थ ईन्दु आई.टी. स्कूल 2.8 किलोमीटर एवं स्पर्श मल्टी—स्पेसियल्टी हॉस्पिटल 4.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन दुर्ग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 0.4 किलोमीटर दूर है। शिवनाथ नदी 2.2 किलोमीटर एवं 2 केनाल परिसर के अंतर्गत आती है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **बिल्टअप क्षेत्रफल का लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** —

Category	Usage	Ground Converage (in Sq Meter)	FAR (in Sq Meter)	Non-FAR (in Sq Meter)	Built-up (in Sq Meter)
Academic	Academic building	41,825	1,31,500	0	1,31,500
Hostel	Students	25,515	85,550	0	85,550
Housing	Staff	18,290	1,12,830	0	1,12,830
External Engineering Services	Services buildings administration building STP, Guard room etc	4,780	5,400	3,680	9,080
Total		**90,410**	**3,35,280**	**3,680**	**3,38,960**

3. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं के उपयोग हेतु अनुमानित कुल 4,865 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।

4. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** — निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढ़क कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।

5. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** — परियोजना के विकासोपरांत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु पांच कलर बिन/बैग पद्धति अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 2,985 किलोग्राम प्रतिदिन (वेट अपशिष्ट 2,092 किलोग्राम प्रतिदिन एवं रिसाईक्लेबल अपशिष्ट 893 किलोग्राम प्रतिदिन) होगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को वेट एवं रिसाईक्लेबल के अनुसार संग्रहित किया जाएगा। वेट वेस्ट को नेचुरल प्रोसेस बेस्ड ओरेजिनिक वेस्ट कनर्वटर खाद बनाने के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट कम्पोस्टर के द्वारा लेण्ड स्कैप वेस्ट को भी ओरेजिनिक वेस्ट कनर्वटर के द्वारा कम्पोस्ट किया जाएगा। रिसाईक्लेबल वेस्ट को वेंडर के माध्यम से अपवहन किया जाएगा।

6. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना में कंसट्रक्शन फेज हेतु 243 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 43 घनमीटर प्रतिदिन एवं कंसट्रक्शन हेतु 200 घनमीटर प्रतिदिन) तथा ऑपरेशन फेज हेतु 1342 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 662 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लशिंग हेतु 300 घनमीटर प्रतिदिन, कुलिंग हेतु 215 घनमीटर प्रतिदिन एवं हार्टिकल्चर हेतु 165 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति कंसट्रक्शन फेज में वॉटर टैंकर एवं ग्राउण्ड वॉटर तथा ऑपरेशन फेज में जल संसाधन विभाग एवं ग्राउण्ड वॉटर से की जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – दूषित जल की मात्रा 756 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगा। दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 900 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाएगा। उपचारित दूषित जल की मात्रा 680 घनमीटर प्रतिदिन होगी। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर विभिन्न कार्यो में उपयोग किया जाएगा। फ्लशिंग हेतु 300 घनमीटर प्रतिदिन, लेण्ड स्कैपिंग हेतु 165 घनमीटर प्रतिदिन एवं कुलिंग हेतु 215 घनमीटर प्रतिदिन उपचारित जल का उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः परियोजना में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग** – परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 9,03,474.8 घनमीटर है। परियोजना अंतर्गत 1 जलाशय स्थापित है। इसके अतिरिक्त रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 जलाशय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। संग्रहित जल का उपयोग लेण्ड स्कैपिंग हेतु किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

7. **विद्युत खपत** – परियोजना में फेज 1 हेतु 5.1 मेगावॉट की आवश्यकता होगी। जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग 1010 के.व्ही.ए. एवं 1 नग 750 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा, जिससे संलग्न चिमनी की ऊंचाई 3 मीटर होगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रुफ टॉप सोलर पैनल सिस्टम की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

8. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – परियोजना हेतु 2,86,758 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 12,000 नग पौधो का रोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 32,850 वर्गमीटर क्षेत्रफल में हरित पट्टिका का विकास किया गया है।

9. छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2531/एफ 4–042/एस–2/31/औजाप्र/18 अटल नगर, दिनांक 19/06/2019 के अनुसार "राज्य जल संसाधन उपयोग समिति, छत्तीसगढ़ की 46वीं बैठक दिनांक 18/01/2019 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), भिलाई के स्थाई परिसर, कुटेलाभाठा, जिला–दुर्ग के घरेलु उपयोग (निस्तार) हेतु, शिवनाथ नदी पर जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित भटगांव एनीकट (ऑफटेक प्वांइट) से 1.6 एम.एल.डी. (0.6 मिलियन घनमीटर वार्षिक) जल आबंटन/प्रदाय की स्वीकृति, विभागीय शर्तों पर दिये जाने की अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया है।" की जानकारी दी गई है।

10. प्रस्तावित आई.आई.टी. परिसर अंतर्गत आने वाली केनाल हेतु कार्यालय कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 2414/तक/2019 दुर्ग, दिनांक 04/06/2019 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

11. अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग द्वारा प्रस्तावित आई.आई.टी. परिसर के निर्माण हेतु लगे हुए 149 वृक्षों की कटाई हेतु अनुमति दी गई है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना हेतु बेसलाईन मॉनिटरिंग दिनांक 01/05/2019 से 15/06/2019 के मध्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि चुंकि यह कन्सट्रक्शन परियोजना है, जिससे परिवेशीय वायु गुणवत्ता में केवल निर्माण के दौरान फ्युजिटिव डस्ट का उत्सर्जन होगा। निर्माण के उपरांत वायु प्रदूषण नहीं होगा। जबकि प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी स्टैण्डर्ड टीओआर में भी मॉनिटरिंग की अवधि हेतु मानक (Standard) का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर ई. आई.ए. अध्ययन हेतु मॉनिटरिंग कार्य अतिरिक्त 45 दिवस किये जाने को मान्य किया जाए। समिति द्वारा उक्त अनुरोध को मान्य करते हुए 01 अक्टूबर से निरंतर 45 दिवस तक मॉनिटरिंग कार्य करने के निर्देश दिए गये।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गयाः–

1. प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 8(बी) टाउनशिप्स एण्ड एरिया डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गईः–

   i. Project proponent shall submit land documents.

ii. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

iii. Project proponent shall submit details of Sewage Treatment Plant (STP) along with process flow diagram and design & capacity of organic waste convertor.

iv. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

vi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works and detail estimates.

vii. Project proponent shall explore feasibility to install maximum solar power system within premises.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स आमाकोनी लाईन स्टोन क्वारी माईन (श्री अशोक बाजपेयी), ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 910)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 38183/2019, दिनांक 25/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 63(पार्ट), 75, 76 एवं 78(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 1.13 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 8,158.5 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 289वीं बैठक दिनांक 20/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत आमाकोनी द्वारा दिनांक 11/08/2012 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 384/खनि.लि./उ.यो./2019 बेमेतरा, दिनांक 22/06/2019 द्वारा अनुमोदित की गई है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 405/ख.लि./तीन–1/2019 बलौदाबाजार, दिनांक 25/06/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 12 खदानें क्षेत्रफल 23.128 हेक्टेयर है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/07/2016 के अनुसार उक्त सभी स्वीकृत उत्खनिपट्टा दिनांक 09/09/2013 के पूर्व से स्वीकृत है।

4. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन दिनांक 29/12/2018 द्वारा जारी किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/08/2019 को सूचना दी गई कि उनका समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स भटभेरा लाईम स्टोन माईन (श्री रिपूसुदन वर्मा), ग्राम–भटभेरा, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 692)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 74399 / 2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 38155/ 2018, दिनांक 26/06/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट

प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नाधीन प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन करने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है।

प्रकरण का उल्लंघन संबंधी विवरणः—समिति अवगत हुई कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के उत्खनन के 05 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संशोधित अधिसूचना दिनांक 07/10/2014 के अनुसार मुख्य खनिज उत्खनन के सभी प्रकरणों (5 हेक्टेयर से कम लीज क्षेत्र वाले खनिज उत्खनन को भी) में पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण दिनांक 15/09/2017 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें दिनांक 15/01/2016 के पश्चात् भी उत्खनन जारी रखा गया था, को उल्लंघन की श्रेणी में माना गया है, इस प्रकरण में वर्ष 2017 तक उत्खनन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम–भटभेरा, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 100/1, 100/2 एवं 100/3, कुल लीज क्षेत्र 4.808 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,10,000 टन/वर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/07/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया थाः–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 289वीं बैठक दिनांक 20/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रिपूसुदन वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भटभेरा का दिनांक 22/12/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाइड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो भारत सरकार, भारतीय खान ब्यरो, जिला–रायपुर द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला–बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक 507/खलि/तीन–6/2017 बलौदाबाजार, दिनांक 05/07/2017 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. समीपस्थ आबादी ग्राम–भटभेरा 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शहर बलौदाबाजार 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राइमरी स्कूल ग्राम–भटभेरा 5 किलोमीटर एवं अस्पताल ग्राम–भटभेरा 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन हथबंद 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 17 किलोमीटर दूर है। शिवनाथ नदी 20 किलोमीटर दूर है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. पूर्व में खनिज गतिविधियों के संचालन हेतु लीज डीड श्री मूलचंद जैन के नाम पर था। श्री रिपुसूदन वर्मा के नाम पर लीज दिनांक 20/03/2003 को हस्तांतरित हुई है। लीज डीड 20 वर्षो के लिए दिनांक 06/06/2006 से 05/06/2026 तक की अवधि हेतु है।

7. जियोलॉजिकल रिजर्व 35,11,100 टन एवं माईनेबल रिजर्व 13,12,650 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में उत्खनन की गहराई 7–8 मीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी/ओव्हरबर्डन की गहराई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 2.5 घनमीटर प्रतिदिन है। जल का स्त्रोत बोरवेल है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 2,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षो के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2006	5,436.12
2007	410
2008	4,551.39
2009	300
2010	450
2011	28,117.88
2012	2,526.48

2013	27,427.2
2014	36,388.48
2015	52,588.2
2016	84,223.54
2017	56,858
2018	—

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
2016–17	1,04,500
2017–18	1,04,500
2018–19	1,04,500
2019–20	1,04,500
2020–21	1,04,500

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति उपर स्पष्ट की गई है।

9. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**:–

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2019 से मई, 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 6 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 2 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 36.38 से 49.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 55.21 से 84.36 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.24 से 25.54 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 12.84 से 39.54 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48 डीबीए से 58 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.24 डीबीए से 53.3 डीबीए पाया गया।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ टी.ओ.आर. में निर्धारित किए गए अतिरिक्त टी.ओ.आर. का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 2,000 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किए जाने हेतु निर्देश दिया गया।

2. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर

संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिए गए अतिरिक्त टी.ओ.आर. का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

4. उल्लंघन के दौरान सी.एस.आर. एक्टीविटी के तहत् किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाए।

5. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

6. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्य 6 माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत् लिखित आश्वासन (Commitment) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़